उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 626/2022

श्रीराम राम वगै0 ....वादीगण।

बनाम्

पूरन पासवान वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

21.01.2026 वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 22.12.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि दौरान मुकदमा पूरन राम दिनांक 13.02.2025 को निबंधित विक्रय पत्र नितिश कुमार को निष्पादित किये है जिससे कि अर्जी में संशोधन करना आवश्यक है। अनुरोध करते है कि अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। दौरान मुकदमा पूरन राम दिनांक 13.02.2025 को निबंधित विक्रय पत्र नितिश कुमार को निष्पादित किये है जिससे कि अर्जी में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रतिवादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद के स्वरूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 22.12.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में आवश्यक संशोधन करें।

दिनांक– 30.03.2026 वास्ते सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)